



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276371
CG-DL-E-21092026-276371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4984]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4984]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

विषय: “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021” में संशोधन

का.आ. 5190(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतद्वारा “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है”:

(1) “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 की अनुसूची में क्रम संख्या 66 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए।

क्र. सं. (1)	वस्तु या सामग्री (2)	भारतीय मानक (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)	ज़रूरी आवश्यकता (5)
66.	स्मार्टफोन के लिए स्क्रीन रक्षक	आईएस 19348:2025	ग्लास स्क्रीन रक्षक — विशिष्टि	-

- (2) “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021” के प्रावधान इस अधिसूचना के द्वारा उक्त आदेश की अनुसूची में जोड़े गए कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तु या सामग्री पर कॉलम (3) में निर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुपालन करने के लिए 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/8/2023-आईपीएचडब्ल्यू]

सुशील पाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में एसओ संख्या 1248 (ई) दिनांक 18 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में एसओ संख्या 1353 (ई) दिनांक 25 मार्च, 2021, एसओ 2844 (ई) दिनांक 01 जुलाई, 2021, एसओ संख्या 1929 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2023, एसओ संख्या 1652 (ई) दिनांक 9 अप्रैल, 2024, एसओ संख्या 4378(ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2024, एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2025, एसओ 4362 (ई) दिनांक 22 सितंबर, 2025, एसओ 4997 (ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 और एसओ संख्या 352 (ई) दिनांक 22 जनवरी, 2026, एसओ संख्या 1246 (ई) दिनांक 10 मार्च, 2026, एसओ संख्या 2204(ई) दिनांक 5 मई, 2026 और एसओ संख्या 4182(ई) दिनांक 26 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

Subject: Amendment to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021”.

S.O. 5190(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021”:

- (1) The following entry be added at S. No. 66 in the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021.

S. No. (1)	Goods or Articles (2)	Indian Standard (3)	Title of Indian Standard (4)	Essential Requirement(s) (5)
66.	Screen Protectors for smartphones	IS 19348:2025	Glass Screen Protector — Specification	-

- (2) The provisions of “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021” shall apply on the goods or articles as specified in the column (2), added to the schedule of the said Order by virtue of this notification, for conforming to the corresponding Indian Standard as specified in the column (3), with effect from 1st April, 2027.

[F. No. W-47/8/2023-IPHW]

SUSHIL PAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. number 1353(E), dated 25th March, 2021, S.O. number 2844(E), dated 01st July, 2021, S.O. number 1929(E), dated 26th April, 2023, S.O. number 1652(E), dated 9th April, 2024, S.O. number 4378(E), dated 9th October, 2024, S.O. S.O. number 1363(E), dated 20th March, 2025, S.O. 4362(E) dated 22nd September 2025, S.O. 4997(E) dated 29th October 2025, S.O. No 352(E) dated 22th January, 2026, S.O. No 1246 (E) dated 10th March, 2026, S.O. 2204(E) dated 5th May, 2026 and S.O. 4182(E) dated 26th July, 2026.